न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 47
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 08 / 2022

1. उमाशंकर पुत्र बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. दिनेश कुमार पुत्र मन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर हाल निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राधे डवलपर्स जरिये डायरेक्टर श्री मनमोहन पारिख जाति पारिख पंजीकृत कार्यालय ए–27, एल.एस नगर, ए ब्लॉक नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर।
4. रामधन पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रार्थीगण

बनाम

1. तीजा देवी पत्नी छोगालाल
2. रमेश चन्द पुत्र छोगालाल
3. घासीलाल पुत्र छोगालाल
4. रामस्वरूप पुत्र छोगालाल
5. दामोदर पुत्र छोगालाल
6. राजू देवी पुत्री छोगालाल
   समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. लालचन्द पुत्र माधोराम
8. राजेश कुमार पुत्र माधोराम
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राधेश्याम पुत्र धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. भंवर लाल पुत्र रामधन नाबालिग जरिये संरक्षिक पिता रामधन
11. ओमप्रकाश पुत्र रामधन नाबालिग जरिये संरक्षिक पिता रामधन
12. पूरणमल पुत्र रामधन नाबालिग जरिये संरक्षिक पिता रामधन
13. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

15. गायत्री पत्नी संदीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 306 अगुणों का बास, जसाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

16. मोतीलाल पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :— 25.08.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि राजस्व ग्राम नींदड पटवार हल्का नींदड, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 540 पुराना 583 के खसरा नम्बर 1564 / 3429 रकबा 0.6000 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1565 रकबा 2.28 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 2.88 हैक्टे0 है। जिसमें प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी सं0 15 व 16 खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 पडौसी काश्तकार है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर के पूरब दिशा में खसरा नम्बर 1566, 1567 स्थित है जिसके अप्रार्थी सं0 7 व 8 खातेदार काश्तकार है, पश्चिम में खसरा नम्बर 178 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं0 13 है तथा उत्तर में खसरा नम्बर 1564 व 1563 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 है व दक्षिण में ख0नं0 1571, 1572, 1573 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थी सं0 15 व 16 की कब्जा काश्तशुदा खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थी सं0 15 व 16 अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का पूर्व में श्रीमान तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ. / 2021 / 2363 दिनांक 02 / 11 / 2021 प्रशासन गांवों के सगं की पालना में पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण के पडोसी खातेदारों द्वारा आये दिन मौके पर सीमा बाबत् झगडा फसाद किया जा रहा है, प्रार्थीगण को जबरन हैरान परेशान किया जा रहा है इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का पूर्व में श्रीमान तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें। उक्त कृषि भूमि के सामांकन एवं पत्थरगढी प्रार्थीगण करवाना चाहते है पटवारी हल्का व

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 को कोई विधिक अधिकार नही है कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करवाने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करें। इस कारण से उक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। जिससे प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर उसका उपयोग उपभोग विधिक रूप से कर सकें।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नींदड पटवार हल्का नींदड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित खाता संख्या नया 540 पुराना 583 के खसरा नम्बर 1564/3429 रकबा 0.6000 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 1565 रकबा 2.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर का पूर्व में हुये सीमाज्ञान के अनुसा पत्थरीगढी मय पुलिस इमदाद से करवाना की कृपा करें जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 15 एवं 16 उपस्थित उनकी की ओर से श्री गजराज कुमार योगी एवं भगवानसहाय शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण सं0 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर से पत्रांक भू.अ./4186 दिनांक 27–07–2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई जांच रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक ग्राम नींदड के खसरा नम्बर 1564/3427, 1565 कुल किता 2 रकबा 2.88 हैक्टेयर के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 15, 16 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 पडौसी खातेदार है। प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1566 , 1567 स्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 7 व 8 खातेदार काश्तकार है पश्चिम दिशा खसरा नम्बर 178 स्थित है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 13 है तथा उत्तर में खसरा नम्बर 1564 व 1563 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार 01 लगायत 6 व दक्षिण में खसरा नम्बर 1571 , 1572 , 1573 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 12 है। खसरा नम्बर 1564/3427 व 1565 में राजस्व रिकोर्ड मुताबिक कोर्ट स्थगन नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के बावजूद भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 15 व 16 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण खातेदारी कृषि भूमि की सीमा ज्ञान के आधार पर पत्थगढी करवाने का है। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 15, 16 की बहस सुनी तथा पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 06/12/2021 को किया गया है। सीमाज्ञान के मुताबिक कोर्ट विवाद नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर का आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि स्थित ग्राम नींदड़ तहसील आमेर जिला जयपुर खसरा नम्बर 1564/3429 रकबा 0.6000 हैक्टैयर खसरा नम्बर 1565 रकबा 2.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.88 हैक्टेयर भूमि की फीस पत्थरगढी नियमानुसार प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करवाने तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के ओदशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

आज दिनांक **25.08.2022** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।